AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD.

Corporate Identification Number (CIN)- U40109RJ2000SGC016482
Regd. Off. Vidyut Bhawan, Panchsheel Nagar, Makarwali Road, Ajmer-305004
PHONE NO:- 01452644551, FAX NO:- 01452644525, E-mail- avvnl0145@yahoo.com, Website- www.avvnl.com

क्र. अ.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / टी.ए. / पत्रा. / 2016–17 / प्रे. 1092 दि:–08.03.2017

कार्यालय आदेश

11 के.वी. फीडर स्तर पर एनर्जी ऑडिट करने के उद्देश्य से पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये थे। उसके निर्देशानुसार सभी उपभोक्ताओं की टेगिंग (इन्डेक्सिग) उनके संबंधित फीडर पर की जानी थी। बिलिंग सिस्टम से प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि अनेक उपभोक्ता अभी भी उपयुक्त फीडर पर सूचीबद्ध नहीं हैं, इस कारण कुछ फीडरों पर एनर्जी ऑडिट की गणना ठीक नहीं हो रही है। अतः सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को फीडरवार उपभोक्ता इन्डेक्सिग ठीक करने के लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैं:–

1. प्रत्येक फीडर के लिये नियुक्त फीडर ईंचार्ज जिन्होने मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के अन्तर्गत फीडर का सर्वे किया है वे सिंगल लाइन डायग्राम (एस.एल.डी.) पर उपभोक्ताओं का खाता संख्या (के नम्बर) व नाम को चिन्हित व, सूचीबद्ध कर, कनिष्ठ अभियन्ता को 15.03.2017 तक प्रस्तुत करेंगे।
2. संबंधित फीडर के कनिष्ठ अभियन्ता व उपखण्ड के लेखाकार फीडरवार उपभोक्ताओं की टेगिंग को कम्प्यूटर में फीड कर, ठीक करने के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे व 20.03.2017 तक सभी उपभोक्ताओं की सर्वे के अनुसार बिलिंग सिस्टम में जाँच कर इन्डेक्सिग ठीक करेंगें।
3. सहायक अभियन्ता इन्डेक्सिग ठीक करने के बाद प्रथम व द्वितीय फेज के सभी फीडरों में से कम से कम 10 फीडरों की भौतिक रूप से स्वयं साइट पर जाकर रेण्डम जाँच कर यह सुनिश्चित करेंगें कि फीडर वार उपभोक्ताओं की टेगिंग 100 ठीक हो गई है।
4. सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) अपने वृत्त में प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों के उपभोक्ताओं की टेगिंग 20.03.2017 से पूर्व कराने हेतु प्रावैधिक सहायक – अधीक्षण अभियन्ता के साथ जिम्मेदार होंगे व बिलिंग सिस्टम में सभी प्रविष्टियां ठीक कराने के लिए संबंधित लेखाकार से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों की टेगिंग ठीक करने हेतु इस बाबत संबंधित फीडर इंचार्ज व कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
5. वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि 24.03.2017 तक उनके वृत्त के प्रथम व द्वितीय फेज के सभी फीडरों की टेगिंग इन्डेक्सिग का सत्यापन हो जावे। इस बाबत उपखण्ड वार प्रमाण पत्र वृत्त स्तर पर संकलित करने के उपरान्त दिनांक 27.03.2017 तक सहायक लेखाधिकारी (राजस्व) व अधीक्षण अभियन्ता का संयुक्त प्राप्त प्रमाण पत्र संबंधित संभागीय मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत कर दिया जावे ताकि उनके क्षेत्र में प्रथम व द्वितीय फेज के फीडरों की इन्डेक्सिग का कार्य पूर्ण कर लिया है।

SE (IT), AVVNL AJMER
R. No. 39..13 Dt 8.3.17
SECTION........................

6. संभागीय मुख्य अभियन्ता व वरिष्ठ लेखाधिकारी (संभाग) संयुक्त रूप से, सभी वृत्तों से अधीक्षण अभियन्ताओं से प्रथम व द्वितीय चरण के सभी फीडरों की सही इन्डेक्सिग बिलिंग सिस्टम में प्रविष्ट कर दी है यह प्रमाण पत्र दिनांक 27.03.2017 तक मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व) को प्रबंधन निदेशक के अवलोकनार्थ भेजेंगे।
7. संबंधित सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि फीडर स्तर पर सभी फीडरों के उपभोक्ताओं की इन्डेक्सिग सत्यापित कर बिलिंग में ठीक कर दी जावे। प्रथम चरण व द्वितीय फेज के कार्य क्षेत्र को 27.03.2017 तक पूरा करना अतिआवश्यक है क्योंकि राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 व उदय योजना के अन्तर्गत सभी फीडरों पर मीटरों को ठीक रखना उपभोक्ताओं की ऑडिट व उन मीटरों पर इन्डेक्सिग अपडेट कराने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।
8. प्रथम व द्वितीय चरण के फीडरों व क्षेत्रों में फीडर इन्डेक्सिग का कार्य पूर्ण करने के बाद तृतीय चरण का भी सर्वे का कार्य अप्रेल 2017 में पूर्ण कर उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित कार्यवाही पूरी कर सम्पूर्ण फीडरों पर इन्डेक्सिग कार्य का सत्यापन कर बिलिंग सिस्टम में प्रविष्टियां ठीक करेंगे।

(एम. आर. विश्नोई)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (वित्त / तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय / एमएम / सुरक्षा–प्रशिक्षण / प्रोजेक्ट), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / झुंझुनु।
4. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व / नियंत्रण / आंतरिक अंकेक्षण / वित्त प्रबंधन) , अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / ऐसीसी / ऐडीसी / प्लान / एमएम / आईएण्डएस / एमएण्डपी / वाणिज्य / सतर्कता / टी.डब्ल्यू. / डी.डी.यू.जी.जे.वाय. / आई.टी. / लीगल), अजमेर डिस्कॉम, ...
6. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष–डिस्कॉम्स, जयपुर।
7. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. मुख्य कार्मिक अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।

(एम.सी. बाल्दी)
प्रावैधिक सहायक – प्रबन्ध निदेशक